

Barkatullah University, Bhopal

POLICY FOR DIVYANGJAN

INTRODUCTION

Barkatullah University follows guidelines for persons with disabilities of UGC. The Persons with Disabilities Act 1995 indicates that differently-abled persons should have access to education at all levels. In the higher education sector, the University Grants Commission (UGC) is supporting universities in the country to involve in special education activities to empower differently-abled persons. Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 prohibits discrimination against individuals all the stakeholders of the HEIs share the responsibility for helping people with disabilities to secure the benefits of campus programmes, services, and activities.

Objectives:

- To provide a disabled friendly culture against any type of discrimination Students and Staff from all spheres of work and education.
- To deliver effective service to the Disabled Students and Staff of the HEIs.
- To ensure implementation of all legislation with respect to persons with disabilities.
- To provide an easy / accessible/ inclusive education at HEIs.
- To ensure full participation of Persons with Disabilities and to provide them equal opportunities for development.

Facilities available for Employee and Students:

- Ramps are available for persons with disabilities for easy access.
- Assistive technology and facilities for persons with disabilities (Divyangjan) - Braille notice board at Mitra Karyalaya.
- Provision for enquiry and information: human assistance.
- All facilities to be provided time to time as per the government rules.

Admission and Exam Policy for Persons with Disabilities:

The HEI will ensure the representation of all types of disabilities listed in Rights of Persons

with Disabilities 2016 and as per the government regulations from time to time. All the facilities and assistance will be provided for exam.

Equal Opportunity Cell (Internal Committee) For Persons with Disabilities (EOCPD):

HEIs will constitute an Expert Committee for Persons with Disabilities (ECPD) which will be responsible for formulating, implementing and revising policy and guidelines for such persons.

All committee members shall be appointed by the Vice Chancellor. The committee members should meet at regular intervals to review relevant activities.

The Expert Committee will be responsible:

- For addressing issues related to disability.
- For providing overall accessibility for Persons with Disabilities in the entire HEI campus, including the Departments/Institutes/Centers and administrative offices and other utilities.
- To resolve grievances pertaining to any matter of Persons with Disabilities. The concerned department will forward the matter if it is not solved at departmental level. If it is not resolved, it should be sent to the competent authorities.
- To arrange mentoring /counseling for students with disabilities.
- To assess the educational needs of student with Disabilities and to determine the types of assistance needed.
- To celebrate important days in order to create awareness about the capabilities of persons with disabilities.
- To organize Remedial Coaching Classes for Persons with Disabilities.
- To provide mentors to students.



(Registrar)

REGISTRAR
SARKATULLAH UNIVERSITY
DEOPAL (M. P.)



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1631 / प्रशा. / 2020

भोपाल, दिनांक 31 / 12 / 2020

:: आदेश ::

मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.12.2017 एवं इस अनुक्रम में मानव ससाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03.12.2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत निम्न सदस्यों की आन्तरिक समिति का गठन किया जाता है:-

1. प्रो. भूपिंदर सिंह, प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग
2. प्रो. रागिनी गोथलवाल, प्राध्यापक, बायोटेक्नोलॉजी विभाग
3. प्रो. रूचिघोष दस्तीदार, प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
4. डॉ. छोटे सिंह आरमो, सहायक प्राध्यापक, आर.पी.ई.जी. विभाग
5. सुश्री भावना पाटने, सहायक कुलसचिव, अकादमी शाखा

समिति अपना अनुशांसाए मान. कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
आदेशानुसार


कुलसचिव


बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 / 12 / 2020

पृ0क्र0 1632 / प्रशा. / 2020

प्रतिलिपि :-

1. संबंधि सम्माननीय सदस्यों की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
3. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
4. निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलसचिव जी के सादर सूचनार्थ।
5. निजी नस्ती।


उप-कुलसचिव (प्रशा.)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ.क्र. 1623 / प्रशा. / 2020

भोपाल, दिनांक 31/12/2020

:: आदेश ::

मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.12.2017 एवं इस अनुक्रम में मानव ससाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03.12.2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों की समस्याएँ आवश्यकताओं का आकलन करने हेतु निम्न सदस्यों की आन्तरिक समिति का गठन किया जाता है—

1. श्री पवन मिश्रा, प्राध्यापक छात्र कल्याण विभाग
2. डॉ. आलोक मिश्रा, सह-प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा विभाग
3. डॉ. अर्चना सेन, सहायक प्राध्यापक, आर.पी.ई.जी. विभाग
4. श्री. मनोज भटनागर, सहायक कुलसचिव, प्रशासन शाखा

समिति इन विद्यार्थियों की समस्याएँ आवश्यकताओं का आकलन कर अपना अनुशासन मान. कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

आदेशानुसार.

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31/12/2020

पृ.क्र. 1624 / प्रशा. / 2020

प्रतिलिपि -

1. संबंधि सम्माननीय सदस्यों की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
3. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
4. निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलसचिव जी के सादर सूचनार्थ।
5. निजी नरस्ती।

59/01.01.21

उप-कुलसचिव (प्रशा.)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 179 / प्रशा. / 2021

भोपाल, दिनांक 27/01/2021

:: संशोधित-आदेश ::

पूर्व प्रसारित कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1631/प्रशा./2020 दिनांक 31.12.2020 के द्वारा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु निर्मांकित आन्तरिक समिति का गठन किया गया था, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए, आन्तरिक समिति के स्थान पर समान अवसर प्रकोष्ठ पढ़ा जावे :-

1. प्रो. भूपिंदर सिंह, प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग
2. प्रो. रागिनी गोथलवाल, प्राध्यापक, बायोटेक्नोलॉजी विभाग
3. प्रो. रूचिघोष दस्तीदार, प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
4. डॉ. छोटे सिंह आरमो, सहायक प्राध्यापक, आर.पी.ई.जी विभाग
5. सुश्री भावना पाटने, सहायक कुलसचिव, अकादमी शाखा

समिति अपनी अनुशंसाए मान. कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27/01/2021

पृ0क्र0 180 / प्रशा. / 2021

प्रतिलिपि :-

1. संबंधि सम्माननीय सदस्यों की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वित्त नियंत्रक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
3. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
4. निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलसचिव जी के सादर सूचनार्थ।
5. निजी नस्ती।

उप-कुलसचिव (प्रशा.)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक दिनांक 15.12.2017 एवं इस अनुक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक दिनांक 08.12.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों की समस्याएँ एवं आवश्यकताओं का आकलन करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की आंतरिक समिति का गठन आदेश क्रमांक 1623/प्रशा./2020 दिनांक 31.12.2020 द्वारा किया गया। सदस्यों के नाम निम्नानुसार है:-

अ. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आंतरिक समिति 2021-22

क्र०	नाम	पद नाम
1	प्रो० पवन मिश्रा	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग
2	डॉ० आलोक मिश्रा	सहा० प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा विभाग
3	डॉ० अर्चना सेन	सहा० प्रा० आर०पी०ई०जी विभाग
4	श्री मनोज भटनागर	सहा० कुलसचिव, प्रशासन

ब. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ का गठन

क्र०	नाम	पद नाम
1	प्रो० भूपिन्दर सिंह	प्राध्यापक मनोविज्ञान विभाग
2	प्रो० रागिनी गोथलवाल	प्राध्यापक बोयोटेक्नोलॉजी विभाग
3	प्रो० रूची घोष दस्तीदार	प्राध्यापक, समाज शास्त्र विभाग
4	डॉ० छोटे सिंह आरमों	सहा० प्राध्यापक आर०पी०ई०जी० विभाग
5	सुश्री भावना पाटने	सहा० कुलसचिव, अकादमी शाखा


DEAN
 STUDENTS WELFARE
 BARKATULLAH UNIVERSITY
 BHOPAL 482026



Brail Board at Mitra Karyalaya



Disabled Friendly Washrooms



Ramp at Teaching Departments and Library Building



Facilities for Divyangjan at Central Library